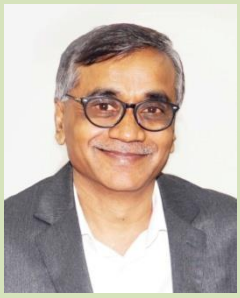

संदेश

(राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा – 2023)

भाषा संस्कृति की संवाहक एवं राष्ट्रीय अस्मिता की पहचान है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं कि, हिन्दी वैश्विक स्तर पर भारतीयता की पहचान है।

इतिहास गवाह है, स्वतन्त्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में हिन्दी ने समस्त राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। हिन्दी अपनी अखिल भारतीय सर्वव्यापकता , सरल संप्रेषणीयता एवं सर्वस्वीकार्यता के कारण स्वतः ही राष्ट्रभाषा के पद पर प्रतिष्ठापित हो गई।

स्वतन्त्रता के बाद , 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिन्दी को अनुछेद 343 के अंतर्गत राजभाषा का स्थान दिया गया। संघ के कार्यालयों के राजकाज की भाषा , औपनिवेशिक काल की भाषा अङ्ग्रेज़ी के स्थान पर अब, व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ाने वाली हिन्दी है।

संघ सरकार के अनुषंगी संगठन के एक कार्यालय होने के नाते भी हमारा संवैधानिक दायित्व है कि, हम हिन्दी में कार्य करें। हमारा ब्यूरो राजभाषा नियमों के अंतर्गत , उपयोगकर्ताओं के आधार पर निर्धारित क्षेत्र “ख” में आता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि, हिन्दी का उपयोग यहाँ कठिन है। क्योंकि हिन्दी की महत्ता को इस बात से भी समझा जा सकता है कि , हिन्दी की लड़ाई हिन्दी भाषियों की अपेक्षा , हिन्दीतर भाषियों ने अधिक लड़ी। महात्मा गांधी , बालगंगाधर तिलक, बाबुराव विष्णु पराड्कर, न्यायमूर्ति शरदाचरण मित्र , केशवचन्द्र सेन , महर्षि दयानंद सरस्वती , चक्रवर्ती राजगोपालाचरी सदृश महापुरुष हिन्दीतर भाषी ही थे।

मुझे विश्वास है राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा (14 सितंबर से 29 सितंबर 2023) के अंतर्गत ब्यूरो में आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं में समस्त कार्मिक सक्रिय रूप से , सोत्साह भाग लेंगे। एवं वर्ष भर राजभाषा हिन्दी में अधिकतम कार्य करेंगे। इसी के साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित वार्षिक कार्यक्रम में तय लक्ष्यों को समग्र रूप से प्राप्त करने का यत्न भी करेंगे।

इसी मंगलकामना के साथ , समस्त वैज्ञानिकों / अधिकारियों एवं कर्मचारीवृंद को हिन्दी दिवस एवं राजभाषा हिन्दी पखवाड़ा – 2023 की अशेष शुभकामनायें ...

(डा एन जी पाटील)
निदेशक